

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज0)

तारीख हकम	हकम या कार्यवाही
17.6.21	<p>पन्नापत्ती चेका दुई खसिस्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील के साथ संलग्न मित्राद अवित्रासत की पन्ना- 5 के गार्जना फर पर अपीलान्त अवित्रासत की वस्तु सुरी गई। अपील SUBJECT to Limitation दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्पगन गार्जना- फर पर अपील अवित्रासत को एकपत्नीय सुना तथा तहत अदालत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। अपीलान्त अवित्रासत की एकपत्नीय वस्तु तथा अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त तहत अदालत उपरवण्ड अवित्रासत, बहरोड के आदेशा दिनांक 13.06.2017 उनवान कल्ली बनाम सन्तलाल का प्रयत्न निरस्त करते हुये तहत अदालत उपरवण्ड अवित्रासत, बहरोड को उन्नयपद्म कारण की उपस्थिति में सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर आजाबी दो माह में गार्जना- फर 212 RT ACT का निस्तारण हिमें जाने के निर्देश देने हुये उपरान्त तहत अदालत को प्रतिशेषित (Plemand) किया जाता है। उक्त आदेशा की प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पन्नापत्ती कैसल कुमार खेवर नम्बर से कम की जाकर बाद त्वत्नीय जाता दारिकल पफुतर की जावे।</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर